

Sixteenth Loksabha

>

Ttile: Need to restore old pension scheme- Laid.

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी) : दिनांक 1.1.2004 से केंद्रीय सरकारी सेवा तथा 1.4.2005 के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी जिसके कारण लाखों कर्मचारियों/शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो गया ।

इस नई अंशदाई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई निश्चित पेंशन राशि का प्रावधान नहीं है । यह कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है । युवा कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है । काफी समय से कई सरकारी कर्मचारी संगठन एनपीएस के खिलाफ देश भर में आंदोलन कर रहे हैं । अभी भी कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है । एक देश एक विधान में दोहरी पेंशन व्यवस्था कैसे ?

अतः मैं सरकार से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करता हूं जिससे लाखों केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे और देश निर्माण में अपना योगदान कर सकें ।